संख्या- 05 /2026/KG-301/001-Comp.No.-1751431

प्रेषक,

पारस नाथ,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 08-10-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत खेरागढ़ जनपद आगरा के पत्र दिनांक 05-06-2026 द्वारा उक्त निकाय हेतु पूर्व के शासनादेश द्वारा स्वीकृत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्गत प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि ₹ 82.83 लाख निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से निम्नांकित तालिका में अंकित नगरीय निकाय को निम्नलिखित शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि कुल ₹ 82.83 लाख (₹बयासी लाख तिरासी हजार मात्र) चालू कार्यों हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	निकाय का नाम/जनपद	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्राविधानित धनराशि	निविदा अनुबन्ध की लागत	प्रथम किश्त की धनराशि	द्वितीय/ अन्तिम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर पंचायत खेरागढ़ जनपद आगरा	19/2025/5338/9-7099-197-2025, दिनांक 21.11.2025	165.83	165.83	83.00	82.83
कुल योग			**165.83**	**165.83**	**83.00**	**82.83**

(₹बयासी लाख तिरासी हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2027 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) आधेशासी आधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से उपरोक्त कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) पी0 डब्ल्यू0 डी0/ आर0 ई0 एस0 के अधिशासी अभियंता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
(4) संबंधित नागर निकाय को कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 82,83,000 (रुपये बयासी लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by Paras Nath
Date: 08-10-2026 20:06:40

भवदीय,

(पारस नाथ)
अनु सचिव।

संख्या-05 –/2026/KG-301/001- Comp.No.-1751431, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. संबंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उ.प्र.।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
पारस नाथ
अनु सचिव।